



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2018/फाल्गुन 9, 1939

No. 83]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2018/PHALGUNA 9, 1939

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 20 फरवरी, 2018

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव फार्म) (निरसन) विनियम, 2018

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/3/150/2018.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए की उप धारा (2) के खंड (जेडसी) और (जेडडी) एवं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धाराओं 14 और 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, एतद्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव फार्म) विनियम, 2013 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निरस्त करता है।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन. III/4/असाधारण/456/17]

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

Hyderabad, the 20th February, 2018

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(STANDARD PROPOSAL FORM FOR LIFE INSURANCE) (REPEAL)
REGULATIONS, 2018**

F. No. IRDAI/Reg/3/150/2018.—In exercise of the powers conferred by clause (zc) and (zd) of sub section (2) of Section 114A of Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and Sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby repeals the Insurance Regulatory and Development Authority (Standard Proposal Form for Life Insurance) Regulations, 2013 with effect from the date of publication in the Official Gazette.

T.S. VIJAYAN, Chairman
[ADVT. III/4/Exty./456/17]